

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./57/2009/759

भोपाल, दिनांक 30.9.09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	कु. इंदूवाला विद्यार्थी सहायक अध्यापिका शा.क.हाईस्कूल वांगरदा जिला खरगोन	AP4099	232713666 15	जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन जा.क्र. 4110 दि. 11.08.09	नगर पंचायत सांवेर जिला इंदौर जा.क्र. 1227 दि. 10.09.09 शा.वा.उ.मा.वि.सांवेर	23260477 702
2	श्रीमती सगुन वाथम सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि.चाक.चांद रवां जिला श्योपुर	BA8232	230108296 01	जनपद पंचायत दिजयपुर जिला श्योपुर जा.क्र. 903 दि. 04.06.09	जनपद पंचायत पाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1135 दि. 26.06.09 शा.प्रा.वि. शिरसा	23040303 501
3	श्रीमती किरमतुन्निसा शेख अध्यापक शा.मा.वि. पवार्डा जिला देवास	BH3627	232301204 02	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 994 दि. 23.06.09	नगर पंचायत तराना जिला उज्जैन जा.क्र. 284 दि. 12.06.09 शा.क.मा.वि. तराना	23210512 123
4	श्रीमती अर्चना धर्मन अध्यापक शा.पूर्व.मा.शा. बहोरीचंद जिला कटनी	AN3618	233801110 01	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 4548 दि. 31.08.09	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 5162 दि. 31.07.09 शा.मा.शा. कसही	23390407 002
5 प र प रि क 6	श्री नौशाद अहमद सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हिरली जिला देवास	BH3698	232301020 01	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2755 दि. 22.08.09	जनपद पंचायत सांवेर जिला इंदौर जा. क्र. 678 दि. 01.08.09 शा.प्रा.वि. सोलसिंधी	23260409 301
	श्री अमजद खान सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सोलसिंधी जिला इंदौर	AM9573	232604093 01	जनपद पंचायत सांवेर जिला इंदौर जा. क्र. 678 दि. 01.08.09	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2755 दि. 22.08.09 शा.प्रा.वि. हिरली	23230102 001
7	श्रीमती चन्द्रकुमारी तिवारी सहा. अध्यापक शा.प्रा.शा. सेगरखेड़ी जिला अशोकनगर	AC4719	234608004 01	जनपद पंचायत मुंगवली जिला अशोकनगर जा.क्र. क्यू. दि. 29.08.09	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 2722 दि. 29.08.09 शा.प्रा.शा. निपानिया सूखा	23320215 101

8 प र र पा रि क 9	श्री नदीम कुरेशी सहायक अध्यापक शा.मा.वि. काजीपलासिया जिला इंदौर	AM8362	232605100 02	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 3913 दि. 10.08.09	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2756 दि. 22.08.09 शा.प्रा.वि. ऑट,	232301 01
	श्री नवेद हुसैन सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. ऑट, जिला देवास	BH3699	232301022 01	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2756 दि. 22.08.09	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 3913 दि. 10.08.09, शा.मा.वि. काजीपलासिया	23260510 002

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संदंय में स्वीकृत रिक्त पद सीधे भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


27/09/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./क्र०/शि.क./ए/संवि./57/2009/760
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 30.9.09

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


30/9/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश